संख्या-14/2016/963/22-2-2015-17(34)/2003

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42090/पर-3(एम-11-09-2015) दिनांक-23-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह, ग्राम-परशुरामपुर, थाना-एलाऊ वर्तमान किशनी, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। एक अन्य केस में विपक्षी द्वारा गवाही दिये जाने के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06-01-1978 को प्रात: लगभग 07:00 बजे पिस्तौल से गोली मारकर राजाराम की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा दिनांक 20-09-1978 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 13 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियक्त कारागार में दाखिल नहीं हुआ 01 सहअभियुक्त कारागार में रिरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान सिंह (बन्दी संख्या-16454) पुत्र श्री विशाल सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-963/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-14/2016/963@22-2-2015-17(34)/2003

दिनांक मार्च, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान सिंह (बन्दी संख्या-16454) पुत्र श्री विशाल सिंह, ग्राम-परशुरामपुर, थाना-एलाऊ वर्तमान किशनी, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। एक अन्य केस में विपक्षी द्वारा गवाही दिये जाने के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 06-01-1978 को प्रात: लगभग 07:00 बजे पिस्तौल से गोली मारकर राजाराम की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-217/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 302, 201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा दिनांक 20-09-1978 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 13 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 05 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियक्त कारागार में दाखिल नहीं हुआ 01 सहअभियुक्त कारागार में रिरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी ध्यानी उर्फ ध्यान सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह निवासी जनपद-मैनपुरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in